सत्यमेव जयते
Web Copy

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 299/2019 दायर दिनॉक 20.12.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनसुख पुत्र स्व.चुनाराम जाति जांगिड़ निवासी सींवा तहसील—लाडनूं, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामलाल पुत्र स्व. कानाराम 2. युवराज पुत्र स्व. कानाराम 3. गोपाल पुत्र स्व. कानाराम 4. निर्मला पुत्री स्व. कानाराम 5. दुर्गा पुत्री स्व. कानाराम 6. सन्तोष पुत्री स्व. कानाराम 7. सीमा पुत्री स्व. कानाराम 8. सोहनी देवी पत्नि स्व. कानाराम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सींवा तहसील लाडनूं जिला—नागौर (राज.)। 9. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा—88 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री समदर सिंह वकील, वादी।
2. श्री नेमीचन्द शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 08

दिनॉक 16.01.2020

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादीगण वादी के भाई स्व0 कानाराम उर्फ कन्हैयालाल के वारिसान है। जिनकी पैत्रिक व संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 529 रकबा 27 बीघा, खसरा सं0 53 रकबा 39 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 678/46 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 679/48 रकबा 08 बिस्वा वाके सरहद सींवा तहसील लाडनूं व खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद चौमु में अवस्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण ने खेत खसरा सं0 529 रकबा 27 बीघा, खसरा सं0 53 रकबा 39 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 678/46 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 679/48 रकबा 08 बिस्वा कुल रकबा 69 बीघा वाके सरहद सींवा का बंटवारा आपसी सहमति से तहसीलदार, लाडनूं के समक्ष निम्न प्रकार कर लिया हैः—

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 299/2019
दायर दिनाँक 20.12.2019, निर्णय दिनाँक 16.01.2020
मनसुख बनाम रामलाल, वगैरा।

(1) वादी मनसुख के हिस्से व बंट की भूमिः– खसरा सं0 53 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा पूर्वी हिस्सा, खसरा सं0 678/46 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पूर्वी हिस्सा कुल 20 बीघा 16 बिस्वा।

(2) प्रतिवादीगण के हिस्से व बंट की भूमिः– खसरा सं0 53 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा, खसरा सं0 529 रकबा 27 बीघा सम्पूर्ण, खसरा सं0 678/46 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 47 बीघा 16 बिस्वा। खसरा सं0 649/48 रकबा 08 बिस्वा सरहद सींवा सभी के शामलाती रखा गया।

वादी मनसुख को उपरोक्त वर्णित सींवा में वर्णित कृषि भूमियों में से बंटवारा में 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही दी गई तथा प्रतिवादीगण को सींवा में स्थित कृषि भूमियों में से बंटवारा में 47 बीघा 16 बिस्वा पेत्रिक कृषि भूमियां दी गई। वादी मनसुख को ग्राम सींवा में बंट में कम दी गई कृषि भूमियों के बदले वाके सरहद चौमु में अवस्थित खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में से प्रतिवादीगण सं0 01 ता 08 की 1/2 खातेदारी की भूमि वादी को बंटवारा में दी गई। परन्तु लाडनूं तहसीलदार के समक्ष 12.02.2013 को सींवा से संबंधित कृषि भूमियों का बंटवारा तो कर दिया गया परन्तु उसी दिवस चौमु में अवस्थित उपरोक्त वर्णित भूमि का बंटवारा ग्राम चौमु तहसील डीडवाना में आने के कारण दिनांक 12.02.2013 को नहीं किया जा सका।

वादी की सरहद सींवा में वर्णित खसरा की भूमि में से मात्र 20 बीघा 16 बिस्वा भूमि की खातेदारी दर्ज हुई है तथा सरहद चौमु में अवस्थित खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 की खातेदारी पहले वादी के नाम दर्ज है तथा शेष 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 ता 08 के नाम से दर्ज हो रखी है। जबकि उक्त कृषि भूमि का सम्पूर्ण रकबा वादी के हक हिस्से में रखा गया था।

प्रार्थना वादी है कि :–

वाके सरहद चोमूं खेत खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा भूमि की 1/2 खातेदारी जो प्रतिवादीगण सं0 01 ता 08 के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का नाम हटाया जाकर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 299/2019
दायर दिनाँक 20.12.2019, निर्णय दिनाँक 16.01.2020
मनसुख बनाम रामलाल, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी सरहद चोमूं खेत खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में से प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का नाम हटवाना चाहता है। जिसमें स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्का का नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है। अतः वाद विवेचन जरिये राजीनामा अनुसार दावा निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा जरिये राजीनामा अनुसार डिक्री कर तहसीलदार, डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क जमा लेकर वाके सरहद चोमूं खेत खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्से में दर्ज प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का नाम हटाकर वादी के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **16.01.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 299/2019 दायर दिनाँक 20.12.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनसुख पुत्र स्व.चुनाराम जाति जांगिड़ निवासी सींवा तहसील—लाडनूं, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रामलाल पुत्र स्व. कानाराम 2. युवराज पुत्र स्व. कानाराम 3. गोपाल पुत्र स्व. कानाराम 4. निर्मला पुत्री स्व. कानाराम 5. दुर्गा पुत्री स्व. कानाराम 6. सन्तोष पुत्री स्व. कानाराम 7. सीमा पुत्री स्व. कानाराम 8. सोहनी देवी पत्नि स्व. कानाराम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सींवा तहसील लाडनूं, जिला—नागौर (राज.)। 9. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

दिनाँक 16.01.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समंदर सिंह वकील वादी व श्री नेमीचन्द शर्मा, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा जरिये राजीनामा अनुसार डिक्री कर तहसीलदार, डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क जमा लेकर वाके सरहद चोमूं खेत खसरा सं0 06 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा में से 1/2 हिस्से में दर्ज प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का नाम हटाकर वादी के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिग............—.............. बाबत....................
—..................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.01.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–**299–2019**/रीडर/2019/ दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मनसुख पुत्र स्व.चुनाराम जाति जांगिड़ निवासी सींवा तहसील–लाडनूं, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रामलाल पुत्र स्व. कानाराम वगैराह समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण सींवा तहसील लाडनूं जिला–नागौर (राज.)।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.02.03 12:17:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: